

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 21(6)2021-22/विकास/प्रमुखसं/ 10140

दिनांक: 16/02/23

कार्यालय आदेश

उप वन संरक्षक, वन्यजीव, आबूपर्वत, सिरोही के पत्रांक 1497-98 दिनांक 05.04.2022 द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार राज्य योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लम्बित दायित्वों के भुगतान हेतु वर्ष 2022-23 में निम्नानुसार बजट आवंटित किया जाता है।

बजट मद	मुख्य वन संरक्षक	उप वन संरक्षक का नाम	योजना का नाम	लम्बित दायित्वों के भुगतान हेतु आवंटित राशि (लाखों में)
4406-01-800-01-00-63	वन्यजीव, जोधपुर	उप वन संरक्षक, वन्यजीव, आबूपर्वत, सिरोही	फार्म वन विधा	0.25
			योग:-	0.25



(एम.के.गर्ग)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास)

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 21(6)2021-22/विकास/प्रमुखसं/ 10141-46

दिनांक: 16/02/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जोधपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, जयपुर।
3. उप वन संरक्षक, वन्यजीव, आबूपर्वत, सिरोही।
4. प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा) / संकलित शाखा (सांख्यिकी अनुभाग) / कम्प्यूटर शाखा वेबसाईट पर अपलोड हेतु।



प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास)

राजस्थान, जयपुर